संख्या–225/XVI-2/ 2012/7(29)/2012

109

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया– रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक लेखानुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष की योजना 0203–चाय विकास परियोजना मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012,दिनांक 30 मार्च, 2012 तथा वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से पासवर्ड के आधार पर सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन हेतु वित्त अनुभाग–1के शा0सं0–183/xxvii(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में लेखानुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष की योजना 0203–चाय विकास परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से प्राविधानित ₹2667.00 हजार (₹छब्बीस लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– इस धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

NEW Budget 2011-2012 R S Rana

7– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा को नियमानुसार अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय। निर्वतन पर रखी जा रही है यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है, तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

9– चाय विकास योजना के मूल्यांकन, अध्ययन यथा तद्क्रम में योजना के अग्रेत्तर संचालन के सम्बन्ध में यथोचित/viable रणनीति निर्धारण की कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित कराते हुए योजना संचालन हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। यदि स्वतंत्र मूल्यांकन कार्य अब तक प्रारम्भ न हुआ हो, तो इसे नियोजन विभाग में तृतीय पक्ष विशेषज्ञ (Third party expert) के माध्यम से अगले तीन माह में करा लिया जाय।

10– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–193/ XXVII(1)/2012,दिनांक 30 मार्च, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत, 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0203 राज्य में चाय विकास की परियोजना के उप मानक मद, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शा0 पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012,दिनांक–30 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–225(1)/XVI-2/12/7 (29)/2012 ,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/रानीखेत उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

NEW Budget 2011-2012 R S Rana